पनफुल नेसा

बनाम

मोहम्मद सिराज अली और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1035/2008)

9 जुलाई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी.सथासिवम, न्यायमूर्तिगण]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 482- फरार अभियुक्त- के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करना- कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका- उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहाई का निर्देश दिया - इसकी सत्यता - निर्धारित किया गया: सही नहीं है क्योंकि मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं किया गया - इसके अलावा यह धारा 438 के तहत मामला नहीं था - धारा 482 के क्षेत्राधिकार को जमानत देने के लिए इस तरीके से विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

अपीलकर्ता के पति और उसके पति के चाचा की हत्या करने के लिए प्रत्यर्थीगण 1 से 9 सहित 10 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफ.आई.आर. के अनुसार, आरोप तय किए गए थे। प्रत्यर्थीगण 1 से 9 को फरार दिखाया गया था। उप-खण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.डी.जे.एम.) ने प्रत्यर्थियों के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर गैर-जमानती वारण्ट जारी करने का निर्देश देने वाले आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश पारित किया। इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए, निर्धारित किया-

1. उच्च न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं किया है एवं इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि प्रत्यर्थीगण 1 से 9 ने द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत याचिका दायर की है। भले ही उच्च न्यायालय ने पाया कि मामले के निस्तारण में एस.डी.जे.एम. की ओर से कुछ चूक हुई थी, किन्तु यह प्रत्यर्थियों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने का आधार नहीं हो सकता, वह भी धारा 482 द.प्र.सं. के तहत एक याचिका में। यह धारा 438 के तहत मामला भी नहीं था। यदि ऐसा था भी, तो प्रत्यर्थीगण 1 से 9 को इस तरीके से रिहा करने के लिए आलौच्याधीन निर्देश नहीं दिए जा सकते थे। द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार इस तरीके से जमानत देने तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह मानकर स्पष्ट रूप से गलती की कि यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 फरार थे। ऐसा अवलोकन करके, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि दायर आरोप पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 को फरार दिखाया गया था। इसी प्रकार दिनांक 01.06.2004 एवं 04.06.2004 के आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं एस.डी.जे.एम. ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि 11 आरोपी फरार थे। यह स्पष्ट रूप से दायर आरोप पत्र के संदर्भ में था। [पैरा 7]

2. हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी पर विचार करने पर पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया था। इसने इस प्रश्न की भी जांच नहीं की कि प्रत्यर्थीगण 1 से 9 को जमानत पर रिहा किए जाने की वांछनीयता क्या है। उच्च न्यायालय के अनुसार एस.डी.जे.एम. ने निर्देशों का उचित परिप्रेक्ष्य में पालन नहीं किया था, केवल इसलिए प्रत्यर्थी 1 से 9 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने का यह कोई आधार नहीं हो सकता था। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 को जमानत देने के संबंध में आक्षेपित आदेश में निहित निर्देश को रद्द कर दिया गया है। [पैरा 8]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1035/2018

गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 116/2006 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2006 से।

इरशाद अहमद अपीलकर्ता के लिए।

एम.सी. धींगरा, अर्णा दास, शकील अहमद, जे.आर. लुवांग, मोमोता ओइमाम और मैसर्स कार्पोरेट विधि समूह प्रत्यर्थीगण के लिए।

डॉ० अरिजीज पसायत, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निर्देश दिया गया था कि प्रत्यर्थीगण 1 से 9 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दर्रांग के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफ.आई.आर.') 16.09.1996 को यह अभिकथित करते हुए दर्ज की गई थी कि प्रत्यर्थीगण 1 से 9 सहित 10 व्यक्तियों ने अपीलकर्ता सूचनाकर्ता के पति और उसके पति के चाचा श्री हनीफ अली की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। अंवेषण पूर्ण होने पर अंवेषण अधिकारी, पुलिस थाना तेजपुर नदी, जिला सोनितपुत द्वारा आरोप पत्र संख्या 1/2004 दिनांक 28.02.2004 पेश किया गया। प्रत्यर्थीगण 1 से 9 सहित ग्यारह व्यक्तियों को फरार दर्शित किया गया था। अपीलकर्ता का मामला यह है कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पुलिस अधिकारीगण प्रत्यर्थीगण का पता नहीं लगा सके। विद्वान एस.डी.जे.एम. ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। प्रत्यर्थीगण को फरार अपराधी घोषित कर दिया गया। 22.12.2005 को गिरफ्तारी वारंट के आधार पर एक आरोपी रुस्तम अली को गिरफ्तार कर लिया गया

और उसे विद्वान एस.डी.जे.एम. द्वारा न्यायिक हिरासत में प्रतिप्रेषित किया गया। तदोपरांत, प्रत्यर्थीगण ने उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका संख्या 18/2006 प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि गैर जमानती वारण्ट जारी करने का निर्देश देने वाले आदेश को अपास्त किया जाए। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि विद्वान एस.डी.जे.एम. के समक्ष उपस्थित होने की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 24.03.2006 द्वारा उक्त याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि यदि प्रत्यर्थीगण जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उसका विधिनुसार निस्तारण किया जावे। प्रत्यर्थीगण को सात दिनों की अवधि के लिए संरक्षण प्रदान किया गया ताकि वे संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकें। निर्विवाद रूप से, वे निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं हुए और समय विस्तार के लिए उच्च न्यायालय में चले गए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.04.2006 तक का समय दिया और प्रत्यर्थियों को विद्वान एस.डी.जे.एम. के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। दिनांक 17.04.2006 को विद्वान एस.डी.जे.एम. अवकाश पर थे इसलिए, उक्त मामला विद्वान सी.जे.एम. के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने मामले को 18.04.2006 को विद्वान एस.डी.जे.एम. के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस बात को लेकर कुछ भ्रांति है कि क्या वास्तव में प्रत्यर्थीगण 18.04.2006 को उपस्थित हुए थे। जो भी हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई थी। विद्वान एस.डी.जे.एम. के कुछ कृत्यों पर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित कर निर्देश दिए गए।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि विचारण न्यायालय ने विभिन्न आदेशों में यह अंकित किया था कि प्रत्यर्थीगण फरार थे। इसलिए, उच्च न्यायालय विद्वान एस.डी.जे.एम. के समक्ष प्रत्यर्थीगण के आत्मसमर्पण

करने पर मामले के गुणावगुण पर विचार किए बिना उनको जमानत पर रिहा करने का निर्देश नहीं दे सकता था।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि केवल विद्वान एस.डी.जे.एम. के आदेश को पढ़ने पर विद्वान एकल न्यायाधीश गलत दर्शित हो सकते हैं, लेकिन जब पूरी सामग्री उनके समक्ष अभिलेख पर रखी गई थी, तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय के निर्देश को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अभियुक्तगण ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उन्हें जमानत दी गई।

6. आलौच्याधीन आदेश में निहित आक्षेपित निर्देश इस प्रकार हैं;

> "इसलिए समेकित रूप से और न्याय हित में मामले पर विचार करते हुए, जी.आर. प्रकरण संख्या 444/99 को एतद्द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दर्रांग को अंतरित किया जाता है। अभियुक्तगण-याचिकाकर्तागण को एतद`द्वारा निर्देशित किया जाता है वह 23.8.2006 को या उससे पूर्व विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दर्रांग, मंगलदाई के न्यायालय में उपस्थित हों, और यदि, अधीनस्थ विद्वान न्यायालय में अपनी उपस्थिति पर, याचिकाकर्ता जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि के अधीन प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा 10,000/- रुपये की जमातन और समरूप राशि की दो स्थानीय प्रतिभू पेश करने पर जमानत पर स्वतन्त्र किया जावे। जमानत के लिए यह निर्देश इस शर्त के अधीन है कि जैसा कि निर्देश

दिया जाएगा याचिकाकर्ता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे।"

7. यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं किया है तथा इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया कि प्रत्यर्थीगण 1 से 9 तक ने द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत याचिका दायर की है। भले ही उच्च न्यायालय ने पाया कि मामले से निपटने में एस.डी.जे.एम. की ओर से कुछ चूक हुई थी, किन्तु यह प्रत्यर्थियों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने का आधार नहीं हो सकता, वह भी धारा 482 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका में। यह धारा 438 के तहत मामला भी नहीं था। यदि ऐसा था भी, तो प्रत्यर्थी 1 से 9 को उस तरीके से रिहा करने के लिए आक्षेपित निर्देश नहीं दिए जा सकते थे। द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार इस तरीके से जमानत देने तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके स्पष्ट रूप से गलती की, कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 फरार थे, यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। ऐसा अवलोकन करके, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि दायर आरोप पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 को फरार दर्शित गया था। इसी प्रकार दिनांक 01.06.2004 एवं 04.06.2004 के आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं एस.डी.जे.एम. ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि 11 आरोपी फरार थे। यह स्पष्ट रूप से दायर आरोप पत्र के संदर्भ में था।

8. अभियुक्त प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 9 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण प्रगति पर है और स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है। वर्तमान कार्यवाही में उस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्देश चिरस्थाई नहीं हैं। इसलिए आदेश के उस हिस्से को अपास्त करते हैं जिसमें प्रत्यर्थीगण 1 से 9 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी पर विचार करने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था।

इसने इस प्रश्न की भी जांच नहीं की कि प्रत्यर्थीगण 1 से 9 को जमानत पर रिहा किए जाने की वांछनीयता क्या है। उच्च न्यायालय के अनुसार एस.डी.जे.एम. ने निर्देशों का उचित परिप्रेक्ष्य में पालन नहीं किया था, केवल इसलिए प्रत्यर्थी 1 से 9 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने का यह कोई आधार नहीं हो सकता था। हम, इसलिए प्रत्यर्थीगण 1 से 9 को जमानत देने के संबंध में आक्षेपित आदेश में निहित निर्देश को रद्द करते हैं। प्रत्यर्थीगण संबंधित न्यायालय जहां विचारण लंबित है, के समक्ष उपस्थित हों । यदि जमानत के लिए कोई आवेदन किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा उस पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा। हम मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते।

9. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रीति मुकेश परनामी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।